Press Release
10.10.2023

Directorate of Enforcement (ED) has filed Prosecution Complaint under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 against habitual smuggler of red sanders - R. Selvaraj, M/s Sanjana Metalware India Pvt. Ltd., P. Vishnu Anand and D. L. Madhusudhan in a case relating to smuggling of Red Sanders before the Hon'ble Special PMLA Court, Visakhapatnam. The Hon'ble Court has taken cognizance of the Prosecution Complaint.

ED initiated investigation on the basis of FIR registered by Narayanavanam PS, Chittoor, Andhra Pradesh Police under various sections of IPC, Wildlife Protection Act, Biological Diversity Act and Arms Act for alleged possession and smuggling of red sandalwood and other related activities. Subsequently, multiple FIRs against R. Selvaraj & others registered by A.P. Police under IPC, Arms Act, Biological Diversity Act, Wildlife Protection Act, AP State Forest Act, etc. were found and the same were taken up within the ambit of ongoing investigation in the case.

ED investigation revealed that R. Selvaraj is a habitual offender involved in smuggling of red sanders and other associated criminal activities and has thereby generated huge amounts of proceeds of crime. The proceeds of crime were invested by him in acquiring several properties in his name and in the name of his family members' alongwith his family-owned company - M/s Sanjana Metalware India Pvt. Ltd. The other accused persons knowingly assisted R. Selvaraj in the concealment and possession of property acquired out of proceeds of crime and in projecting the same as untainted.

Earlier, ED had attached movable & immovable properties worth Rs. 2.74 Crore belonging to R. Selvaraj, his family members and M/s Sanjana Metalware India Pvt. Ltd. in March 2022 which was confirmed by the Hon'ble Adjudicating Authority, PMLA in September 2022.

Further investigation is under progress.

****

प्रेस विज्ञप्ति

10.10.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत (स्पेशल पीएमएलए कोर्ट) के समक्ष लाल चंदन की तस्करी से संबंधित एक मामले में लाल चंदन के आदतन तस्कर आर. सेल्वाराज, मेसर्स संजना मेटलवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पी. विष्णु आनंद और डी. एल. मधुसूदन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज किया । माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया ।

ईडी ने नारायणवनम पुलिस स्टेशन, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर लाल चंदन और अन्य संबंधित गतिविधियों के कथित कब्जे और तस्करी के लिए भारतीय दंड संहिता, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की । इसके बाद, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आंध्र प्रदेश राज्य वन अधिनियम आदि के तहत आर. सेल्वराज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकीयां (एफआईआर) पाए गए और उन्हें मामले में चल रही जांच के दायरे में लिया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि आर. सेल्वराज लाल चंदन की तस्करी और अन्य इससे जुड़े आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अनुसूचित अपराधों में संलिप्त एक आदतन अपराधी रहा है और इस तरह उसने भारी मात्रा में अपराध जनित आगम अर्जित किए । अपराध जनित आगम को उसने अपने नाम
और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई संपत्तियों के साथ-साथ अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी - मेसर्स संजना मेटलवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया । अन्य आरोपियों ने जानबूझकर अपराध जनित आगम से अर्जित संपत्ति को छिपाने और कब्जे में रखने में आर. सेल्वराज की सहायता की और इसे बेदाग धन के रूप में पेश किया।

इससे पहले, ईडी ने मार्च 2022 में आर. सेल्वाराज, उनके परिवार के सदस्यों और मेसर्स संजना मेटलवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 2.74 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि सितंबर 2022 में विद्वत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पीएमएलए द्वारा की गई थी।

मामले में आगे की जांच चल रही है।